जिला परिषद की साधारण सभा में जनप्रतिनिधियों ने उठाए जनहित के मुद्दे

चित्तौड़गढ़ (प्रातःकाल संवाददाता)। जिला प्रमुख भूपेंद्र सिंह बडोली की अध्यक्षता में जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक जिला परिषद् सभागार में आयोजित की गई। बैठक में ग्रीष्म ऋतु के दौरान आने वाली पेयजल समस्या पर विस्तार से चर्चा हुई। जिला प्रमुख ने ग्रीष्म ऋतु में आने वाली संभावित पेयजल समस्या के निदान के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के अधीक्षण अभियंता को आवश्यक निर्देश दिए। इसके साथ ही ऊर्जा एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यों को सदन में प्राथमिकता से लिया गया जिनके निराकरण पर कई कार्यो पर सहमति भी बनी। बैठक में मनरेगा योजना अंतर्गत आगामी वर्ष की वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन, जिला परिषद एवं पंचायत समितियों के वर्ष 2024-25 के बजट का अनुमोदन सहित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में बेगूं विधायक डॉ. सुरेश धाकड़ ने डीएमएफ्डी मद में बकाया चल रहे सभी भुगतान जल्द कराने पर जोर देते हुए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पिछली सरकार में अंग्रेजी माध्यम में बदले गए विद्यालयों को यदि वहां के 200 ग्रामीण लिखित रूप में देवें तो फिर से हिन्दी माध्यम में कर दिए जाएं और जहां के ग्रामीण अंग्रेजी माध्यम का स्कूल चाहते हों वहां के स्कूल को अंग्रेजी माध्यम में बदलने की कार्यवाही की जाए। इसके साथ ही उन्होने गर्मी के मौसम में पेयजल के लिए चलाए जाने वाले टेंकरों के भुगतान की स्पष्ट नीति बनाने के निर्देश दिए। इसी क्रम में कपासन विधायक अर्जुनलाल जीनगर ने विद्युत विभाग द्वारा कई स्थानों पर भरी गई गलत वीसीआर पर सख्त निर्देश देते हुए कहा कि छोटे से घर में रहने वाले गरीब परिवारों पर हजारों रूपये का जुर्माना बिना किसी कारण के लगाया जा रहा है, इसे बंद किया जाए। विधायक जीनगर ने उनके क्षेत्र में प्राथमिक चिकित्सालयों व सामुदायिक चिकित्सालयों में रिक्त पड़े पदों पर चिकित्सकों की नियुक्त कराने की बात कही। इसी क्रम में विधायक सुरेश धाकड़ ने चिकित्सा विभाग के अधिकारी से कहा कि नव नियुक्त चिकित्सकों को तीन तीन महीनों के लिए ग्रामीण क्षेत्र के चिकित्सालयों में तैनात किया जाए, जिससे व्यवस्था में सुधार होगा और नये चिकित्सकों के अनुभव में भी वृद्धि होगी। विधायक धाकड़ ने खेतों पर लगे विद्युत ट्रांसफार्मर चोरी होने के संबंध में पुलिस उपाधीक्षक से तुरन्त एफआईआर लिखने की बात कही। बैठक में विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा हाईवे पर की जा रही अवैध वसूली पर सख्त कार्यवाही कराने की बात कही। इसके साथ ही आक्या ने गत दिनों विद्युत विभाग द्वारा पंचायतों में बिलों की बाकियात के चलते पेयजल के लिए दिए गए कनेक्शन काटने पर नाराजगी जताते हुए, कहा कि अभी पंचायतों के पास बजट नहीं है, बजट मिलते ही बाकी विद्युत बिल जमा करा दिए जाएंगे। उन्होने पंचायतों के काटे गए विद्युत संबंध फिर से जोड़ने के भी निर्देश दिए।

आक्या ने क्षेत्र में खाली पड़े विद्यालय भवनों को पंचायतों को सौंपने की बात कही, जिससे उनका उपयोग हो सके। उन्होंने मातृकुंडिया बांध पानी नेतावल महाराज और घोसुण्डा तक लाने पर जोर दिया।

भूमि विकास बैंक अध्यक्ष बद्री लाल जाट, डेयरी चेयरमैन बद्री लाल जाट सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी जन हित से जुड़े कई मुद्दे बैठक में रखे, जिन पर संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक में जिले के प्रधान, पंचायत समिति सदस्य सहित जनप्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

चित्तौड़गढ़। जिला परिषद की बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधि। पीयूष

राजस्थान-गुजरात बॉर्डर से 5 लाख की शराब जब्त

ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार, लकड़ी की आड़ में हो रही थी तस्करी

डूंगरपुर (प्रातःकाल संवाददाता)। बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करी करते एक ट्रक को जब्त किया है। लकड़ी की आड़ में 5 लाख रूपए की पंजाब निर्मित शराब को तस्करी कर गुजरात ले जा रहे थे। पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। बिछीवाड़ा थानाधिकारी कैलाश सोनी ने बताया कि अवैध शराब तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत राजस्थान गुजरात के रतनपुर बॉर्डर पर नाकाबंदी कर वाहनों की तलाशी ली गई। इस दौरान एक ट्रक को रूकवाकर ड्राइवर महेंद्र सिंह रावत निवासी कलारिया सेंधड़ा जिला ब्यावर ने ट्रक में लड़की भरा होना बताया, लेकिन शक होने पर पुलिस ने ट्रक की तलाशी ली। ट्रक में लकड़ी के नीचे अवैध शराब की पेटियां भरी हुई मिली। शराब को लेकर कोई कागजात नहीं मिले। जिस पर पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया।

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PWD DIVISION AMET (RAJSAMAND)
File No:- 1715 Notice Inviting Bid Date:- 11.03.2024
Bids for **Nit No 13/2023-24, (Flood road works) 9 Nos.** are invited from interested bidders upto **Date 20.03.2024, 06.00 P.M.** Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (http://eproc.rajasthan.gov.in, http://sppp.raj.nic.in) of the state, and departmental website. The approximate value of the procurement is Rs. 212.21 Lacs.
NIB No. PWD2324A5020
UBN No. 1. PWD2324WSOB21865 2. PWD2324WSSS21866 3. PWD2324WSSS21867 4. PWD2324WSSS21868 5. PWD2324WSSS21872 6. PWD2324WSSS21875 7.PWD2324WSSS21876 8. PWD2324WSSS21879 9. PWD2324WSSS21881
(Magni Ram Regar)
DIPR/C/2991/24 EXECUTIVE ENGINEER PWD DIVISION AMET

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खण्ड बाँसवाड़ा
मकान संख्या 215, गली न. 6/ A, राती तलाई, बांसवाड़ा
क्रमांक- EE/ M & H DIV.BSW/ 2023-24/ 811 दिनांक: 13.03.2024
ई-टेण्डरिंग अल्पकालीन निविदा सूचना 09/2023-24
NIB code NRH2324A0862
इस कार्यालय के अधीन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निर्माण कार्य हेतु कुल 01 कार्य की निविदा NIB code के कार्य किये जाने हेतु ऑनलाईन निविदाएं दिनांक 18/03/2024 को दोपहर 03 बजे तक आमंत्रित की जाती है। ई-निविदा से संबंधित विवरण वेबसाईट https://sppp.rajasthan.gov.in & http://eproc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।
UBN No. NRH2324WSOB02622 अधिशाषी अभियन्ता
DIPR/C/3038/2024 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खण्ड बाँसवाड़ा

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PWD DN DHARIYAWAD
No:- 2252-2256 Date:- 12.03.2024
Notice Inviting Bid No. 24/2023-24
NIB Code: PWD2324A5097
Bids for Budget Announcement 2024-25/NP/ML Works are invited from interested bidders upto **15.03.2024, 09:00 AM** to **26.03.2024, 06:00 PM** Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal ("http://www.eproc.rajasthan.gov.in and http://www.sppp.rajasthan.gov.in) of the state, The approximate value of procurement is **Rs. 198.56** Lacs.
UBN No: PWD2324WSOB22274 PWD2324WSOB22275 PWD2324WSOB22277
(H.P. Meena) Executive Engineer PWD Dn. Dhariyawad
DIPR/C/3044/24

आमेट पालिका में हुई वार्षिक निविदा

आमेट (प्रातःकाल संवाददाता)। नगर पालिका कार्यालय में प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी वार्षिक निविदाओं की प्रक्रिया संपन्न की गई। वरिष्ठ लिपिक बलवंत सिंह राठौड़ ने बताया कि आमेट नगर पालिका क्षेत्र में वार्षिक कार्य जिसमें कम्पयुटर ऑपरेटर सप्लाई, अर्द्धकुशल कार्मिक सप्लाई, स्टेशनरी सामान सभी प्रकार के फोटो कॉपी, पेपर रजिस्टर कार्बन फाईलकवर फाईल पेड स्टाम्प पेड लेस, गोंद आदि, निमंत्रण पत्र छपाई, राष्ट्रीय पर्वों व पशुमेला हेतु व अन्य विज्ञप्तियों एंव होर्डिंग्स बेनर वीथ फ्रेम लाईट डेकोरेशन ठेका,माईक व्यवस्था राष्ट्रीय पर्व पर तथा अन्य प्रचार हेतु लोहे की झालियाँ व स्टेण्ड बनाने का कार्य, फोटोग्राफी व विडियोग्राफी, पानी कैम्पर, पानी टेंकर ,पालिका क्षेत्र में वार्ड सं .1 से 23 में लाईट व पनघट रखरखाव, लाईनमैन,नगरपालिका आमेट में निर्मित सार्वजनिक शौचालय की साफ सफाई व देखरेख का कार्य। नगरपालिका आमेट में जे.सी.बी. मशीन किराये लगाना। इलेक्ट्रीकल्स सामान सप्लाई।

पालिका में टेन्ट व्यवस्था पालिका के कार्यक्रम में मिठाई नाश्ता अल्पाहार,समस्त प्रकार की नल फिटींग व अन्य हार्डवेयर सामग्री कार्य की निविदा टेण्डर किये गए। जिसमें 68 ठेकेदारों ने पांच सौ रूपये की राशि जमा करवाकर टेण्डर कॉपी प्राप्त की। जिससे नगरपालिका को 34 हजार रूपये की आय हुई है। तय समय अनुसार सभी ठेकेदारों ने सील बंद निविदा नगर पालिका के बंद सील बंद डिब्बे में डाली गई, जिसको सभी ठेकेदारों के समक्ष सील किया गया । इस दौरान आशीष प्रजापत, विजय सिंह , प्रताप सिंह, ज्ञानचंद गेलड़ा, फखरूद दीन, जगदीश सालवी, रूपसिंह, जगदीश जैन,नारायण सिंह भाटी, नटवर सिंह भाटी,भंवरलाल मेवाड़ा,भगवती लाल मेवाड़ा, कालू जीनगर सहित अनेक ठेकेदार मौजूद थे ।

बिना पेनल्टी-जुमार्ना के कर जमा करने के अंतिम तीन दिन

बांसवाड़ा (प्रातःकाल संवाददाता)। जिला परिवहन अधिकारी, एनएन शाह ने बताया है कि ट्रकों के अगले वित्तीय वर्ष का वार्षिक कर व एकमुश्त किश्ते जमा करवाने के लिए अंतिम तीन ही शेष बचे है। 16 मार्च से कर के बराबर जुमार्ना नियम-32 के तहत वसूला जा सकता है। अतः सभी ट्रकों के वाहन स्वामियों को पुनरू हिदायत दी जाती है कि वह अपने वाहनों का कर तुरन्त जमा करावें व होने वाली परेशानियों से बचे। शाह ने बताया कि ट्रकों व अन्य सभी वाहनों के जिनके पुराने चालान बकाया होकर पेण्डिंग है वह वाहन स्वामी अपने वाहन का वार्षिक-एकमुश्त कर जमा से पूर्व बकाया चालान की प्रशमन राशि जमा करवाने के पश्चात ही वाहन का कर जमा किया जा सकेगा।

मशीनरी की दुकान में लगी आग, सामान जले

डूंगरपुर। महाराज मार्केट स्थित यूनिक मशीनरी की दुकान में लगी आग तथा पॉवर हाउस में लगी आग पर काबू पाता दमकल। फोटो : सुधीर जैन

डूंगरपुर (प्रातःकाल संवाददाता)। शहर के उदयपुर मार्ग पर स्थित महाराजा मार्केट में दोपहर को एक मशीनरी की दुकान में आग लगने से दुकान में स्टोर किया गया। इलेक्ट्रिक आइटम सहित, वायर, मोटर व अन्य सामान जल गया। सूचना मिलने पर नगरपरिषद का फायर बिग्रेड की दो गाडीया मौके पर पहुंची तथा आग पर काबू पाया। आग लगने के बाद मुख्य बाजार होने से भीड़ लग गई।

इधर सूचना मिलने पर कोतवाली थानाधिकारी मय जाप्ता थाने मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना किया। जानकारी अनुसार महाराजा मार्केट में दो मंजिला भवन में प्रथम तल पर यूनिक की दुकान में जाली में अचनाक से काला धूंआ निकलता हुआ दिखाई दिया, धुंआ निकतला देखे आसपास रहने वाले दुकानदारों ने इसकी सूचना फायर बिग्रेड की गाड़ी को दी। फायर मेंन अशोक ननोमा, मुकेश सुथार, ड्राइवर शांतिलाल मानत मय जाप्ता मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है।

इसी तरह विद्युत वितरण निगम कार्यालय के मुख्य गेट के निकट से गुजर रही लाईन के शोर्ट सर्किट होने से आग लग गई। घटना की जानकारी की सूचना मिलते ही फायर बिग्रेड तत्काल विद्युत विभाग पहुंचा और लग रही आग पर काबू पाया गया।

कार्यालय: अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगर खण्ड-द्वितीय, उदयपुर
E-Mail:- eecity2.uda.phed@rajasthan.gov.in Phone No. 0294-2421872
क्रमांक- अ.अ./न.ख.-II/उदय/निविदा/2023-24/ 5870-97 दिनांक: 13.03.2024
ई-निविदा सूचना संख्या 67/2023-24

E-NIT No.	NIB No.	UBN No.
64/2023-24	PHE2324A6414	PHE2324WSOB15437
निविदा प्रपत्र उपलब्धता	निविदा डाउनलोड एवं अपलोड करने की अंतिम दिनांक व समय	तकनीकी बिड खोलने की दिनांक व समय
दि. 13.02.2024 को 9.30 बजे से	दि. 27.03.2024 को 18.00 बजे तक	दि. 28.03.2024 को 15.00 बजे

(अखिलेश कुमार शर्मा)
अधिशाषी अभियन्ता
DIPR/C/3068/2024 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर खण्ड द्वितीय उदयपुर

JM FINANCIAL
जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
कॉर्पोरेट पहचान संख्या: U67190MH2007PLC74287
पंजीकृत कार्यालय: 7वीं मंजिल, सेनजी, अप्पासाहेब मराठे मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई 400025
संपर्क व्यक्ति : 1. पुनित बोहरा- 9413746022, 2. रोहन सावंत- 9833143013, 3. ज्योति सावंत- 022 - 6224 1676
Website - www.jmfinancialarc.com
ई-नीलामी बिक्री सूचना- आगामी बिक्री
पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज अधिनियम, 2002 ('सरफेसी अधिनियम') की धारा 5 (1) (बी) के तहत सभी अधिकारों, स्वामित्व और ब्याज के साथ अंतर्निहित प्रतिभूति ब्याज के साथ ऋण (नीचे उल्लिखित ऋणों सहित) का एक पूल सौंपा है, जो जेएमएफएआरसी (जेएम) के पक्ष में 29 मार्च, 2023 ('असाइनमेंट एग्रीमेंट') के एक असाइनमेंट समझौते के तहत जेएमएफएआरसी-अरण्य-ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्य कर रहा है। यह अधिसूचित करने के लिए है कि पी. सी. एच. एफ. एल. असाइनमेंट/सर्विस एग्रीमेंट के माध्यम से सभी परिचालन और प्रक्रियाओं की प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए सेवा प्रदाता/संग्रह एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत और नियुक्त है।
उधारकर्ताओं से देय राशि की वसूली के लिए सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत सुरक्षित ऋणदाता के अधिकृत अधिकारी द्वारा यहां उल्लिखित सुरक्षित संपत्ति पर कब्जा करने के लिए, अचल संपत्ति की खरीद के लिए अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं, जैसा कि यहां बताया गया है, जो भौतिक कब्जे में है,'जैसा है जहां है के आधार पर', 'जैसा है जो है के आधार पर' और 'जो है वह है के आधार पर', जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

कर्ज कोड/शाखा/ कर्जदार/ सह-कर्जदार / जमानतदार	मांग सूचना दिनांक और राशि	संपत्ति का पता -अंतिम	आरक्षित मूल्य	बयाना राशि जमा (ईएमडी) (आरपी का 10%)	बकाया राशि (11.03.2024)
ऋण कोड संख्या: 06100000925, बीकानेर (शाखा), देरावर सिंह अभय सिंह राजपूत (उधारकर्ता), संतोष कंवर देरावर सिंह राजपूत (सह उधारकर्ता 1)	दिनांक: 21-01-2020, रु. 5,48,531/- (रु. पांच लाख अड़तालीस हजार पांच सौ इकतीस मात्र)	संपत्ति के सभी टुकड़े और पार्सल जिनका विस्तार है:- प्लॉट नंबर सी-178 आवासीय कॉलोनी करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार बीकानेर बीकानेर राजस्थान- 334001. सीमाएँ इस प्रकार:- उत्तर: प्लॉट संख्या सी-179 दक्षिण: प्लॉट संख्या सी-177 पूर्व: प्लॉट संख्या सी-203 पश्चिम: सड़क	रु. 3,51,000/- (रू. तीन लाख इक्यावन हजार मात्र)	रु. 35,100/- (पैंतीस हजार एक सौ रूपये मात्र)	रु. 10,45,085/- (रु. दस लाख पैंतालीस हजार पचासी मात्र)
ऋण कोड संख्या: 00900015208, जयपुर-वैशाली (शाखा), रवि काबरा (उधारकर्ता), प्रेम लता काबरा (सह-उधारकर्ता 1) राकेश कुमार शर्मा (गारंटर 4)	दिनांक: 19-08-2020, रु. 4,79,864/- (रू. चार लाख उनहत्तर हजार आठ सौ चौसठ मात्र)	संपत्ति के सभी टुकड़े और पार्सल जिनका विस्तार है:- प्लॉट नंबर बी 108 फ्लैट नंबर एफ 3, पहली मंजिल गंगा जमुना कॉलोनी बेनाड़ रोड, मुरलीपुरा जयपुर जयपुर राजस्थान:- 302012. सीमाएँ इस प्रकार हैं:- उत्तर: अन्य भूमि, दक्षिण: प्लॉट संख्या बी-109, पूर्व: सड़क, पश्चिम: प्लॉट संख्या बी-105	रु. 22,50,000/- (रुपये बाईस लाख पचास हजार मात्र)	रु. 2,25,000/- (रु. दो लाख पच्चीस हजार मात्र)	रु. 7,45,610/- (रुपये सात लाख पैंतालीस हजार छह सौ दस मात्र)

ई-नीलामी की तिथि: 30.03.2024 सुबह 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक (प्रत्येक 5 मिनट के अमर्यादित विस्तार के साथ),
बोली जमा करने की अंतिम तिथि: 29.03.2024 अपराह्न 4.00 बजे से पहले
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए कृपया प्रदर्शित लिंक https://www.jmfinancialarc.com/Home/Assetsforsale एवं https://www.bankauction.in देखें।
उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता को सरफेसी अधिनियम के तहत वैधानिक 15 दिनों की बिक्री नोटिस
उपर्युक्त उधारकर्ता/गारंटर को सूचित किया जाता है कि वे धारा 13(2) में उल्लिखित राशि को नीलामी की तारीख से पहले अर्जित ब्याज के साथ पूरी राशि का भुगतान करें, अन्यथा संपत्ति की नीलामी/बेच दी जाएगी और शेष बकाया, यदि कोई हो, चुका दिया जाएगा। उधारकर्ता/गारंटर से ब्याज और लागत सहित वसूल किया गया।
दिनांक : 15-03-2024 हस्ता /-(प्राधिकृत अधिकारी)
स्थान : बीकानेर, जयपुर (अरण्य - ट्रस्ट)

36 किलो प्लास्टिक किया जब्त

बड़ीसादड़ी (प्रातःकाल संवाददाता)। नगर में नगर पालिका प्रशासन बड़ीसादड़ी द्वारा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के निर्देशानुसार चार दिवसीय सिंगल युज प्लास्टिक के क्रय भंडारण और विक्रय प्रतिबंध के संबंध में नगर में सघन अभियान चलाया। मुख्य बाजार में 36 किलो सिंगल युज प्लास्टिक को लेकर कार्रवाई करते हुए 10 व्यापारियों के चालान काटे। पालिका प्रशासन की ओर से पूर्व में भी जागरूकता अभियान चलाकर व्यापारियों लोगों को पॉलिथीन का उपयोग नहीं करने के लिए समझाया की थी।

बच्चों के मामलों में अति संवेदनशीलता से करें कार्यवाही- एसपी त्रिपाठी

विशेष किशोर पुलिस इकाई की त्रैमासिक बैठक आयोजित

राजसमंद (प्रातःकाल संवाददाता)। गुमशुदा बच्चों के संदर्भ में प्रभावी कार्यवाही तथा बाल संरक्षण संबंधित गतिविधियों के लिए संचालित ऑपरेशन खुशी 8 के अंतर्गत जिला पुलिस की ओर से त्रैमासिक समीक्षा बैठक का आयोजन रेंज कार्यालय व यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में संचालित पुलिसिंग फॉर केयर ऑफ चिल्ड्रन कार्यक्रम के सहयोग से एसपी मनीष त्रिपाठी की अध्यक्षता में सभागार पुलिस अधीक्षक कार्यालय में किया गया। बैठक में एसपी ने सभी पुलिस थानों के बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों को संबोधित करते हुए बालकों के मामलों की गभीरता को उदाहरण के माध्यम से समझाते हुए अन्य मामलों की तुलना में अधिक संवदेनशीलता से कार्यवाही के निर्देश दिए।

बैठक में एएसपी जिला महिला अपराध एवं अनुसंधान प्रकोष्ठ अनन्त कुमार ने जिले में वर्ष 2021 से वर्तमान समय तक गुमशुदा बालकों के दर्ज प्रकरणों तथा दास्तयाब किए गए बालकों से संबंधित आकडों को बैठक में उपस्थित अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया। बैठक में यूनिसेफ की बाल संरक्षण सलाहकार सिन्धु बिनुजीत ने इकाई के सुदृढ़करण तथा नवगठित कम्युनिटी पुलिसिंग यूनिट्स के विभिन्न स्तरों पर क्षमतावर्धन, बालकों से संबंधित मामलों में किशोर न्याय अधिनियम तथा संबंधित अधिनियमों में प्रयोग में आने वाले प्रपत्रों के बारे में जानकारी दी गई।

इस दौरान श्रम विभाग के रघुवीरसिंह, मानव तस्करी विरोधी प्रकोष्ठ की प्रभारी श्यामसिंह रत्नू, पुलिसिंग फॉर केयर ऑफ चिल्ड्रन कार्यक्रम के आकाश उपाध्याय सहित पुलिस थानों के बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों ने विचार व्यक्त किए।

स्कूली बच्चों ने शैक्षिक भ्रमण कर थाने एवं पालिका की कार्य प्रणाली जानी

फतहनगर (प्रातःकाल संवाददाता)। चंगेड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में चल रही एसपीसी योजना में स्कूली बालक-बालिकाओं ने शैक्षिक भ्रमण किया तथा भ्रमण के दौरान थाने एवं पालिका की कार्य प्रणाली से रूबरू हुए। योजना में शामिल बच्चों का दल शिक्षकों के साथ फत्तहनगर थाने पहुंचा जहां पर एएसआई गुलाबसिंह ने नशा एवं इससे होने वाले दुष्प्रभाव की जानकारी देते हुए अपने आस-पास होने वाले

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने किया विद्यालय का अवलोकन

कपासन (प्रातःकाल संवाददाता)। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बनाकिया खुर्द का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी डॉ रामसिंह चुंडावत, अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गोपाललाल शर्मा ने आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यालय रिकार्ड का अवलोकन कर छात्र-छात्राओं से प्रश्नोत्तरी की तथा मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता की जांच की।

शांति भंग करने के आरोप में एक गिरफ्तार

सराड़ा (प्रातःकाल संवाददाता)। सराड़ा थाना पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। थाना क्षेत्र अंतर्गत झाड़ोल निवासी लालूराम उर्फ ललित पुत्र वीरेंद्र पटेल द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर विद्युत सप्लाई बंद रहने की भ्रामक सूचना प्रकाशित कर आमजन को भ्रमित करने तथा बिना कारण आमजन को विद्युत विभाग के कार्मिकों के खिलाफ विद्युत सप्लाई कटौती के गलत संदेश को लेकर विद्युत उपभोक्ताओं को उकसाने जैसी हरकतों तथा कनिष्ठ अभियंता को लोगों से मिली सूचना पर आरोपी से गलत संदेश की पूछताछ की तो आरोपी आक्रोशित होकर देख लेने जैसी धमकियां देकर शांति भंग करने लगा। सराड़ा पुलिस को सूचना मिलते ही आरोपी लालूराम उर्फ ललित पुत्र वीरेन्द्र पटेल को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

मंदारेश्वर पहाड़ी पर मारपीट व लूटपात करने के तीन आरोपी गिरफ्तार

बांसवाड़ा (प्रातःकाल संवाददाता)। महाशिवरात्रि पर्व की रात्रि में मंदारेश्वर पहाड़ी पर मारपीट कर लूटपात करने के तीन आरोपियों को पुलिस थाना कोतवाली ने गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली थाना प्रभारी प्रकाशचंद्र ने बताया कि 11 मार्च को प्रार्थी प्रदीप पुत्र अमरलाल वागरी निवासी भागाकोट ने रिपोर्ट दी कि वो 8 मार्च को महाशिवरात्रि पर्व की रात्रि में अपने साथियों के साथ मंदारेश्वर मंदिर के दर्शन के पश्चात् पहाड़ी पर बने त्रिशुल के आस-पास दर्शन करने गये हुए थे कि अज्ञात नकाबपोश लड़कों ने प्रार्थी व उसके साथियों के साथ मारपीट कर दो मोबाईल फोन व नगदी छीन ली।

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला, एएसपी बनवारीलाल मीणा, पुलिस उप अधीक्षक सूर्यवीर सिंह राठौड़ के निर्देशन में थानाधिकारी देवीलाल मीणा के नेतृत्व में लूट की वारदात के खुलासे के लिये थाना स्तर पर टीम गठित की गयी। अनुसंधान के दौरान जानकारी मिली कि उक्त वारदात अरविन्द कुमार मकवाना पुत्र उदालाल मकवाना निवासी काकरा डूंगरी माकोद ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर की है जिस पर पुलिस टीम ने अरविन्द कुमार एवं उसके अन्य दो साथी अंकित बावर एवं दयालराम मोरी को डिटेन कर पूछताछ की तो इन लोगों ने वारदात कबूल की जिस पर तीनों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम में सहायक उपनिरीक्षक गोविन्द पाटीदार, कांस्टेबल हितेश कुमार, पृथ्वीपाल सिंह महीपाल सिंह शामिल रहे। इस मामले में पृथ्वीपाल सिंह एवं महीपाल सिंह की विशेष भूमिका रही।

जयपुर विकास प्राधिकरण
इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
क्रमांक : जविप्रा/जनसम्पर्क/2024/डी-वी-273 दिनांक : 14.03.2024
आम सूचना
निम्न योजनाओं के आवेदकों द्वारा अपनी सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्यो हेतु आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं जिनका विस्तृत विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाईट www.jda.rajasthan.gov.in एवं जोन कार्यालय में देखा जा सकता है। इस संबंध में आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 7 दिवस में मय दस्तावेज संबंधित उपायुक्त जोन कार्यालय में प्रस्तुत करें।

क्र.सं.	जोन	भूखण्ड सं.	सोसायटी/योजना का नाम	आवेदक का नाम
1.	पीआरएन दक्षिण-प्रथम	78	खुदाबादी सोनार गृ.नि.स.स.लि. की वर्धमान नगर योजना नाम हस्तान्तरण/फ्री-होल्ड पट्टा हेतु।	श्री रामकरण विजय पुत्र स्व. श्री रामचन्द्र विजय
2.	पीआरएन दक्षिण-प्रथम	72 एवं 73	खुदाबादी सोनार गृ.नि.स.स.लि. की वर्धमान नगर योजना नाम हस्तान्तरण/फ्री-होल्ड पट्टा हेतु।	श्री रामकरण विजय पुत्र स्व. श्री रामचन्द्र विजय
3.	पीआरएन दक्षिण-प्रथम	43	हथरोई गढी गृ.नि.स.स.लि. की श्री कृष्णा विहार योजना नाम हस्तान्तरण/फ्री-होल्ड पट्टा हेतु।	श्रीमती मंजू देवी गुप्ता पत्नी श्री शिव कुमार गुप्ता
4.	09	ए-244	शिल्पाचार्य गृ.नि.स.स. की शिक्षा विहार योजना नाम हस्तान्तरण हेतु।	श्रीमती बॉबी सिंह पत्नी स्व. श्री दीपक सिंह, हर्षिता सिंह एवं अभिषेक सिंह पुत्र/पुत्री स्व. श्री दीपक सिंह जरिये संरक्षिका माता बॉबी सिंह
5.	09	230	विकास भवन गृ.नि.स.स. की रविन्द्र विहार योजना नाम हस्तान्तरण हेतु।	श्रीमती रेणु सेठ पत्नी श्री विजय कुमार सेठ
6.	पीआरएन दक्षिण-द्वितीय	सी-9 एवं सी-9ए	दी सांगानेर कॉ-ओपरेटिव सोसायटी लि. की वरुण कॉलोनी योजना (ग्राम-मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावास) का आवासीय से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ हेतु (आपत्ति/सुझाव 15 दिवस)	श्री कृष्ण कन्हैया शर्मा पुत्र श्री मोहन लाल शर्मा
7.	09	8	श्रीमती साधना सिंघल पतनी श्री सुरेश सिंघल के नाम से अचरोल गृ.नि.स.स. की योजना कैलाश सरोवर के भूखण्ड संख्या 8 का पट्टा फर्ज हस्ताक्षर कर जोन की मोहर लगाकर जारी किया गया है। जोन के रिकार्ड अनुसार जोन-9 में अचरोल गृ.नि.स.स. की योजना कैलाश सरोवर अनुमोदित योजना नहीं है तथा उक्त योजना से संबंधित कोई भी रिकार्ड जोन में उपलब्ध नहीं है एवं ना ही जोन द्वारा उक्त पट्टा जारी किया गया है। जिसके संबंध में पुलिस थाना गांधी नगर में एवं उपरजिस्ट्रार कार्यालय सांगानेर द्वितीय को सूचित कर दिया गया है। सूचनार्थ प्रेषित है।	

लोक सूचना

क्र.सं.	जोन	खसरा नम्बर	सोसायटी/योजना का नाम	आवेदक का नाम
1.	10	551	ग्राम-नागल सुसावतान, तहसील-आमेर, जिला-जयपुर की भूमि का गैर-कृषिक फार्म हाउस के उपयोग हेतु।	श्री गिरधारी लाल मीणा पुत्र रेवडराम, श्री मनोहरलाल पुत्र रेवडराम एवं लालचंद पुत्र बिरदीचंद

राज.संवाद/सी/23/14881 सचिव